A-6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी--

करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26 / प्रा0पत्र / 13	18.02.2013	29.07.2022

1. श्योजी आ0 बजरंगलाल जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. हजारी आ0 कंवरा जाति मीणा निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

--प्रार्थीगण

बनाम

1. महावीर आ0 लक्ष्मीनारायण बालिग जाति मीणा निवासी ग्राम ढोकून तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. कैलाश आ0 लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम ढोकून तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. लक्ष्मीनारायण आ0 रामनिवास जाति मीणा निवासी ग्राम ढोकून तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. आवंटन परामर्शदात्री समिति जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी।

--अप्रार्थीगण

उपस्थित--

प्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से--श्री रामदत्त शर्मा एड0
अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से--श्री संजय जैन एड0
अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से--पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण महावीर, कैलाश की माता व लक्ष्मीनारायण की पत्नि मोत्या जोजे लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी ढोकून तहसील नैंनवा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 254 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम ढोकून तहसील नैंनवा आवंटन आदेश दिनांक 21.01.1985 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आंवटन पत्रावली तलबी उपरान्त विवादित आवंटन दिनांक 21.01.1985 राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिचाई परियोजना सरकारी भूमि आंवटन) नियम 1968 नियमो में होने से प्रकरण का निस्तारण इन नियमो में करना सुसंगत समझा गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण महावीर, कैलाश की माता व लक्ष्मीनारायण की पत्नि मोत्या को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 254 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम ढोकून का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधान एवं प्रकिया के विपरीत आवंटन किया गया हैं। आवंटी मृतक मोत्या एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगणों का कभी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं रहा हैं तथा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई हैं। आवंटी एवं उसके पश्चात आवंटी के वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आवंटन के पश्चात प्रथम व द्वितीय वर्ष में आवंटित भूमि के 1/2 भाग में जोतना व फसल करना नियमों में अनिवार्य हैं। आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं की गई हैं, इस कारण से भी आवंटन निरस्त होने योग्य हैं। आवंटित भूमि को प्रार्थीगणों द्वारा ही काबिल काश्त

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

उस पर काबिज होकर कृषि कार्य निर्बाध रूप से करते आ रहे हैं। कब्जे के संबंध आवंटन खारीज के प्रार्थन–पत्र के साथ दस्तावेज पेश कर दिये गये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 21.01.1985 को खारिज किया जावें। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1973 पेज 566, आरआरडी 1981 पेज 320, आरआरडी 2001 पेज 465 व आवंटन नियम 1970 का नियम 20 प्रस्तुत किये गये।

वकील अप्रार्थीगण ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता एवं अप्रार्थी संख्या 3 की पत्नि मृतक मोत्या को आवंटन की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया हैं। आवंटन के पश्चात मृतक आवंटी मोत्या के पति व पुत्रों द्वारा आवंटित भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त की हैं। मोत्या का देहान्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगणों की माता व पत्नि मोत्या स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगणों ने आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हैं। आवंटन वर्ष 1985 का हैं जिसे निरस्त करने हेतु लगभग 37 वर्ष पश्चात कार्यवाही प्रस्तुत की गई हैं जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 21.01.1985 यथावत रखा जावें। अप्रार्थीया के वकील ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2009 पेज 256 प्रस्तुत किये गये।

राजकीय अभिभाषक ने दोराने बहस व्यक्त किया कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि मृतक मोत्या को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 21.01.1985 को आवंटन किया गया हैं। पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील संवत 2042,2043,2044,2045,2047,2048,2049,2052,2053,2054,2055,2056,2057 व 2058 प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमें प्रथमदृष्टया जाहिर है कि आंवटित भूमि पर आंवटी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन में अप्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटित रकबे पर कौनसे संवत में कौनसी फसल की गई हैं। अतः हस्तगत प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिचाई परियोजना सरकारी भूमि आंवटन) नियम 1968 नियमो आवंटन की शर्तो की पालना आंवटी द्वारा एवं आंवटी की मृत्यु पश्चात उसके वारीसों द्वारा नहीं की गई है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 21.01.1985 निरस्त किया जाता हैं। विवादित आराजी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

आदेश आज दिनांक 29.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)